<u>न्यायालय</u>— सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर जिला —बालाघाट, (म.प्र.)

<u>आप.प्रक.कमांक—588 / 2006</u> <u>संस्थित दिनांक—11.09.2006</u> फाईलिंग क.234503000372006

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—बिरसा जिला—बालाघाट (म.प्र.) — — — — — — — — — <u>अभियोज</u>न

// <u>विरूद</u> //

1—बीरनसिंह पिता सहारू धुर्वे, उम्र—60 वर्ष, निवासी—ग्राम तरेगांव, थाना बिरसा, जिला—बालाघाट (म.प्र.)

2—सुखरूसिंह पिता भगतसिंह मेरावी, उम्र—42 वर्ष, निवासी—ग्राम तरेगांव, थाना बिरसा, जिला—बालाघाट (म.प्र.) — — — —

<u> – आरोपीगण</u>

// <u>निर्णय</u> //

<u>(आज दिनांक-17/12/2015 को घोषित)</u>

- 1— आरोपी बीरनसिंह व सुखरूसिंह के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—294, 325 / 34, 506 (भाग—2) के तहत आरोप है कि उन्होंने दिनांक—24.08.2006 को समय 05:30 बजे आरक्षी केन्द्र बिरसा अंतर्गत लोकस्थान पर या उसके समीप फिरयादी बैयनबाई व सगनसिंह को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालो को क्षोभ कारित कर, आहत बैयनबाई के दांए पैर में लाठी से मारकर अस्थिभंग कर घोर उपहित कारित किया तथा फिरयादी बैयनबाई को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया एवं आरोपी बीरनसिंह के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—323 के तहत आरोप है कि उसने आहत बैयनबाई को लाठी से बांए पैर में मारकर साधारण उपहित कारित किया।
- 2— संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि फरियादी बैयनबाई ग्राम तरेगांव रहती है तथा कास्तकारी का कार्य करती है। उसने लगभग चार माह पूर्व बीरनिसंह को 100/—रूपये उधार दिए थे, जिससे कई बार पैसे मांगे, किन्तु बीरनिसंह ने पैसे नहीं दिए। दिनांक—24.08.2006 को करीब 05:30 बजे वह अपने घर के सामने खड़ी थी, तभी बीरनिसंह बोदा चराकर रोड से अपने घर जा रहा था और उसके हाथ

में लाठी थी। उसने बीरनसिंह से उधारी के पैसे मांगे तो बीरनसिंह बोला कि मादरचोद-बहनचोद बार-बार पैसे मांगती है, बड़ी पैसे वाली हो गई है। बीरनसिंह ने उसे पैर में घुटने के नीचे लाठी मार दिया, तो उसकी बहू सोमवतीबाई ने बीरनसिंह के हाथ से लाठी छुड़ा ली तथा श्यामसिंह ने बीच-बचाव किया, उसी समय सुखरू मेरावी आया और उसे और उसके लड़के सगनसिंह धुर्वे को मॉ-बहन की गंदी-गंदी गालियां देने लगा और उसकी बहू सोमवतीबाई के हाथ से लाठी छुड़ाकर बीरनसिंह को लाठी दे दी और कहा मारो साली को, तब बीरनसिंह ने बोला कि मादरचोद आज तुझे जान से खत्म कर देंगे और उसे दाहिने पैर की पिंडली में मारा, जिससे उसके पैर में चोट आई और सूजन थी। उसके दाहिने पैर के घुटने के नीचे भी चोट आई थी। घटना को श्यामसिंह, सतोष सिंह तथा उसके लड़के सगनसिंह व बहू सोमवतीबाई ने देखें हैं। उक्त घटना की रिपोर्ट फरियादी बैयनबाई द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। जिस पर पुलिस थाना बिरसा में आरोपीगण के विरूद्ध अपराध कमांक-54 / 2016, धारा-294, 506, 323, 34 भा.द.वि. पंजीबद्ध कर दर्ज की गई। पुलिस द्वारा आहत का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया तथा घटनास्थल का नजरी नक्शा बनाया गया। विवेचना के दौरान आहत बैयनबाई की एक्सरे रिपोट प्राप्त होने में उसके दांए पैर में फ्रेक्चर होने से आरोपीगण के विरूद्ध धारा–325 का ईजाफा किया गया। साक्षियों के कथन लिये गये एवं आरोपीगण को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3— आरोपी बीरनसिंह व सुकरूनसिंह के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—294, 325/34, 506 (भाग—2) एवं आरोपी बीरनसिंह के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—323 के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया है। आरोपीगण ने धारा—313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को झूठा फंसाया जाना प्रकट किया है। आरोपीगण द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं की गई है।

4- प्रकरण के निराकरण हेत् निम्नलिखित विचारणीय बिन्द् यह है कि:--

1. क्या आरोपी बीरनसिंह व सुखरूसिंह ने दिनांक—24.08.2006 को 05:30 बजे आरक्षी केन्द्र बिरसा अंतर्गत लोकस्थान पर या उसके समीप फरियादी बैयनबाई व सगनसिंह को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालो को क्षोभ कारित किया ?

- 2. क्या आरोपी बीरनसिंह व सुखरूसिंह ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी बैयनबाई को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?
- 3. क्या आरोपी बीरनसिंह व सुखरूसिंह ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर आहत बैयनबाई के दांए पैर में लाठी से मारकर अस्थिभंग कर घोर उपहति कारित किया ?
- 4. क्या आरोपी बीरनसिंह ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर बैयनबाई को लाठी से बांए पैर में मारकर साधारण उपहति कारित किया ?

विचारणीय बिन्दुओं का सकारण निष्कर्ष :-

- 5— आहत बैयनबाई (अ.सा.2) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपीगण को जानती है। घटना लगभग 3 वर्ष पूर्व शाम 6:00 बजे उसके घर के सामने की है। उसने अपने पैसे आरोपी बीरन से मांगी थी, तब आरोपी बीरन उसे दाई—माई की गालियां देने लगा, जो उसे सुनने में अच्छी नहीं लगी। उसने आरोपी से एक सौ रूपये मजाक में मांगी थी। आरोपी बीरन ने उसे लकड़ी से मारा, तब साक्षी सोमबती ने आकर लकड़ी छुड़ाई थी, तभी आरोपी सुखरू आया और सोमबती से लकड़ी छुड़ाकर उसके पैर पर मारा, जिससे वह गिर गई थी और उसके पैर की हड्डी टूट गई थी। उसने घटना की रिपोर्ट बिरसा थाने में की थी और उसका डॉक्टरी मुलाहिजा बिरसा अस्पताल में हुआ था।
- 6— उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि बीरनिसंह के पास पतली सी बांस की लकड़ी थी और उसने मोटी लकड़ी से उसके साथ मारपीट नहीं किया था। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में उसके कथन का महत्वपूर्ण खण्डन बचाव पक्ष की ओर से नहीं किया गया है। साक्षी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं उसके पुलिस कथन के अनुरूप कथन किये हैं, जिसमें महत्वपूर्ण विरोधाभास न होने से तथा साक्षी के कथन का खण्डन न होने से उसकी साक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई कारण प्रकट नहीं होता है।
- 7— सोमवतीबाई (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपीगण को जानती है। फरियादी बैयनबाई उसकी सास है। घटना लगभग 3—4 वर्ष पूर्व शाम 6:00 बजे ग्राम तरेगांव की है। फरियादी और आरोपी बीरन का लड़ाई—झगड़ा

हुआ था। आरोपी बीरन घटना के समय बैयनबाई को लकड़ी से मार रहा था, तो उसने बीच—बचाव कर लकड़ी छुड़ाई थी, तब आरोपी सुखरू आया और लकड़ी छुड़ाकर बैयनबाई को मारा, जिससे उसके पैर में चोट आई थी। फरियादी को आरोपीगण ने मादरचोद की अश्लील गालियां दी थी। उक्त गाली आरोपी सुखरू ने फरियादी को दी थी, जो उसे सुनने में बुरी लगी थी। पुलिस ने घटनास्थल का मौकानक्शा प्रदर्श पी—1 उसके समक्ष बनाया था।

- 8— उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि बीरनिसंह के पास बोदा चराने वाली तुतारी पतले बांस की लकड़ी थी तथा मोटे बांस की लकड़ी नहीं थी। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में उसके कथन का महत्वपूर्ण खण्डन बचाव पक्ष की ओर से नहीं किया गया है। साक्षी ने उसके पुलिस कथन के अनुरूप कथन किये हैं, जिसमें महत्वपूर्ण विरोधाभास न होने से तथा साक्षी के कथन का खण्डन न होने से उसकी साक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई कारण प्रकट नहीं होता है।
- 9— श्यामिसंह (अ.सा.3) ने अपनी साक्ष्य में बताया कि उसने घटना के समय आरोपीगण को मारते हुए नहीं देखा था। साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने घटना से इंकार किया है। साक्षी ने उसके पुलिस कथन से भी इंकार किया है। इस प्रकार साक्षी के कथन से अभियोजन पक्ष को कोई समर्थन प्राप्त नहीं होता है।
- 10— संतोष सिंह (अ.सा.4) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह दोनों आरोपीगण एवं फरियादी को जानता है, वे उसके ही गांव के रहने वाले हैं। उक्त घटना लगभग 4 वर्ष पूर्व करीब शाम 5:00 बजे की है। घटना दिनांक को वह आरोपी बीरनसिंह के साथ बोदा—बैल लेकर वापस आ रहा था, तो रास्ते में बैयनबाई ने आरोपी बीरनसिंह को रूकने कहकर और उधार पैसे वापस देने के लिए कहा और उनके बीच बातचीत होने लगी थी। वह अपने मवेशियों को लेकर अपने घर चला गया। बाद में हल्ले की आवाज सुना और शाम में अंधेरा होने पर वह गया तो बैयनबाई के पैर में फेक्चर हो गया था, उसे किसने मारा उसे जानकारी नहीं है। साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने इस सुझाव से इंकार किया कि आरोपीगण ने उसके सामने गंदी—गंदी गालियां देते हुए बैयनबाई को मारपीट की थी और उसने बीच—बचाव किया था। साक्षी ने उसके पुलिस कथन से भी इंकार किया है। साक्षी ने अपने न्यायालयीन कथन में केवल इस तथ्य की पुष्टि की है कि घटना के समय

आरोपी बीरनसिंह और बैयनबाई के बीच उधार पैसा वापस करने पर से विवाद हुआ था तथा उसने घटना के बाद पहुंचकर बैयनबाई के पैर में फ्रेक्चर होना पाया था।

11— सगनसिंह (अ.सा.5) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपीगण को जानता है। फरियादी बैयनबाई उसकी मॉ है। घटना लगभग 4—5 वर्ष पूर्व दिन के करीब 10—11 बजे की है। घटना दिनांक को आरोपी सुखरूसिंह ने आरोपी बीरनसिंह को लाठी दिया और आरोपी बीरनसिंह ने उस लाठी से उसकी मॉ बैयनबाई की पिंडली में मार दिया था, जिससे उसकी मॉ के पैर की हड्डी टूट गई थी। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने इस सुझाव से इंकार किया कि आरोपी बीरन ने उसकी मॉ बैयनबाई को गाली—गलौज की थी। साक्षी ने उसके पुलिस कथन से भी इंकार किया है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि वह मानसिक रोग से पीड़ित है तथा मारपीट के समय बह मौके पर मौजूद नहीं था और उसने घटना नहीं देखी थी। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि उसकी दिमागी हालत खराब होने से जो जैसा समझाता है, वह वैसा ही बोलता है। उक्त तथ्य से यह प्रकट होता है कि साक्षी के द्वारा अपने मुख्यपरीक्षण में घटना का समर्थन करने पर भी उसकी मानसिक स्थित ठीक न होने से प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष द्वारा दिए गए सुझाव को भी स्वीकार किया गया है। इस प्रकार साक्षी के कथन से अभियोजन को समर्थन प्राप्त नहीं होता है।

12— चिकित्सीय साक्षी डाक्टर एम. मेश्राम (अ.सा.६) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक—25.08.2006 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिरसा में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को थाना बिरसा के आरक्षक दादूराम कमांक—439 द्वारा आहत श्रीमती बैयनबाई पित सहायता, उम्र—48 वर्ष, निवासी ग्राम तरेगांव को उसके समक्ष परीक्षण हेतु लाया गया था। आहत के परीक्षण करने पर उसने पाया कि उसके दाहिने घुटने के नीचे एक सूजन थी, जिसका आकार 8 गुणा 13 था। उसके मतानुसार उक्त चोट किसी कड़ी एवं बोथरी वस्तु द्वारा आना प्रतीत होती थी, जो उसके परीक्षण के 12 से 24 घंटे पूर्व की थी। आहत के दाहिने पैर की दोनों हिड्डयां के टूटने की संभावना को देखते हुए उसने उसे एक्सरे उपचार तथा अभिमत हेतु अस्थि रोग विशेषज्ञ जिला अस्पताल बालाघाट के पास रेफर कर दिया था। उसके द्वारा तैयार की गई परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी—5 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि उक्त चोट बांस की पतली छड़ी से

आना संभव नहीं है। साक्षी का स्वतः कथन है कि एक इंच की मोटी छड़ी से तेज प्रहार करने पर उक्त चोट आ सकती है। इस प्रकार साक्षी ने आहत बैयनबाई की घटना के समय उसके पैर की हड़डी में अस्थि भंग होने तथा उक्त चोट एक इंच मोटी छड़ी से तेज प्रहार से कारित होने की संभावना की पुष्टि की है।

13— डॉ. डी.के. राउत (अ.सा.७) ने अपनी साक्ष्य में कथन किये है कि वह दिनांक—30.08.2006 को जिला चिकित्सालय बालाघाट में रेडियोलॉजिस्ट के पद पर पर पदस्थ था। दिनांक—29.08.2006 को एक्सरे टेक्निशियन ए.के. सेन ने आहत बैयनबाई पित सहायता सिंह, उम्र—48 वर्ष, निवासी—ग्राम तरेगांव, थाना बिरसा के दाहिने पैर का एक्सरे किया था, जिसका एक्सरे प्लेट कमांक—3742 था। उपरोक्त एक्सरे प्लेट का परीक्षण करने पर उसने आहत के दाहिने पैर की टीबीया और फीबुला के मध्य भाग में अस्थिमंग होना पाया था। उसकी एक्सरे प्लेट आर्टिकल ए—1 है तथा परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी—6 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि यदि एक इंच मोटी लकड़ी से बल पूर्वक न मारा जाए तो उक्त प्रकार की चोट नहीं आ सकती। साक्षी का स्वतः कथन है कि बलपूर्वक मारने से उक्त प्रकार की चोट आ सकती है। इस साक्षी ने भी आहत बैयनबाई को एक इंच मोटी लकड़ी से प्रहार करने पर आहत बैयनबाई को अस्थिमंग कारित होने की पुष्टि की है।

14— अभियोजन की ओर से प्रकरण में अनुसंधानकर्ता अधिकारी की साक्ष्य नहीं कराई गई है। मामलें की प्रकृति को देखते हुए अनुसंधानकर्ता अधिकारी के माध्यम से प्राथमिकी, मौका नक्शा, साक्षियों के कथन, गिरफ्तारी कार्यवाही की औपचारिक कार्यवाहियों की सबूती की आवश्यकता न होने से मामलें में अनुसंधानकर्ता अधिकारी की साक्ष्य पेश न होने से अभियोजन का मामला कमजोर नहीं होता है। इसके अलावा आरोपीगण के द्वारा मारपीट में प्रयुक्त लकड़ी की जप्ती न होने से भी अभियोजन का मामला प्रभावित नहीं होता है। वास्तव में प्रकरण में लकड़ी की जप्ती का अधिक महत्व नहीं रह जाता है। यदि अभियोजन साक्षीगण के कथनों में परस्पर विरोधाभास या महत्वपूर्ण लोप होता तब अनुसंधानकर्ता अधिकारी की साक्ष्य के दौरान उक्त तथ्य के संबंध में बचाव पक्ष को चुनौती दिए जाने का अवसर प्राप्त होता, किन्तु उक्त के अभाव में अनुसंधानकर्ता अधिकारी की साक्ष्य को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क पेश किया गया है कि मामले में आहत

15-

बैयनबाई (अ.सा.2) व उसकी बहू सोमवतीबाई (अ.सा.1) के अलावा अन्य किसी अभियोजन साक्षी ने मामले का समर्थन अपनी साक्ष्य में नहीं किया है, इस कारण अभियोजन का मामला संदेह से परे प्रमाणित नहीं है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि साक्ष्य विवेचन में साक्षियों की संख्या से अधिक साक्ष्य की गुणवत्ता महत्वपूर्ण होती है और एकल साक्षी की साक्ष्य भी आरोपी की दोषसिद्ध के लिए पर्याप्त है, किन्तु ऐसी साक्ष्य संदेह से परे स्थापित होना आवश्यक है। प्रकरण में आहत बैयनबाई (अ.सा.2) की साक्ष्य का समर्थन सोमवतीबाई (अ.सा.1) ने किया है तथा प्रकरण में आरोपीगण को कथित झूठा फंसाया जाने का तथ्य प्रकट न होने से साक्षी सोमवतीबाई (अ.सा.1) की साक्ष्य को मात्र हितबद्ध साक्षी होने के आधार पर अविश्सनीय नहीं ठहराया जा सकता है। अभियोजन की ओर से महत्वपूर्ण साक्ष्य पेश की है, जिसमें महत्वपूर्ण विरोधाभास एवं लोप होना प्रकट नहीं होता है। ऐसी दशा में उक्त साक्षीगण की साक्ष्य पर मात्र इस कारण अविश्वास नहीं किया जा सकता है कि अन्य अभियोजन साक्षीगण ने अपनी साक्ष्य में अभियोजन का समर्थन नहीं किया है।

- 16— आहत बैयनबाई (अ.सा.2) एवं साक्षी सोमवतीबाई ने एकमत में अपनी साक्ष्य में यह बताया है कि घटना के समय फरियादी बैयनबाई को उसके घर के सामने अर्थात लोकस्थान के समीप आरोपीगण ने दाई—माई एवं मादरचोद की अश्लील गालियां दी थी, जो उन्हें सुनने में बुरी लगी। इस प्रकार आरोपीगण के द्वारा लोकस्थान के समीप फरियादी बैयनबाई को अश्लील शब्दों का उच्चारण कर क्षोभ कारित किया जाना प्रमाणित है। इसी प्रकार उक्त साक्षीगण ने अपनी साक्ष्य में एकमत से यह बताया है कि आरोपीगण ने मिलकर आहत बैयनबाई को लकड़ी से मारकर उसे पैर में अस्थिभंग कारित किया। आहत बैयनबाई को घटना के समय उसके पैर में अस्थिभंग कारित होने की पुष्टि चिकित्सीय साक्षीगण के द्वारा अपनी साक्ष्य में की गई है।
- 17— प्रकरण में प्रस्तुत तथ्य व परिस्थिति से प्रकट होता है कि आरोपीगण के द्वारा घटना के समय आहत बैयनबाई को बांस की लकड़ी से प्रहार करते समय उनके पास प्रयुक्त साधन से उक्त आहत को चोट पहुंचाने का आशय विद्यमान था तथा वह इस संभावना को जानते थे कि उक्त साधन से निश्चित रूप से आहत बैयनबाई को गंभीर उपहित कारित होगी। इस प्रकार आरोपीगण के द्वारा किया गया उक्त कृत्य स्वेच्छया घोर उपहित की श्रेणी में आता है। आरोपीगण की ओर से आहत बैयनबाई के

प्रतिपरीक्षण में ऐसा सुझाव नहीं दिया गया है कि घटना के समय उसने आरोपीगण को गंभीर व अचानक प्रकोपन दिया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप आरोपीगण के द्वारा उक्त उपहित कारित की गई। अभियोजन की ओर से भी ऐसी साक्ष्य प्रकट नहीं हुई है कि आरोपीगण को घटना के समय गंभीर एवं अचानक प्रकोपन प्राप्त हुआ था, जिस कारण उनके द्वारा आहत को कथित प्रकोपन पर स्वेच्छया घोर उपहित कारित की गई। इस प्रकार आरोपीगण को धारा 335—भा.द.वि. के उपबंध के अंतर्गत आपवादिक परिस्थित का लाभ प्राप्त नहीं होता।

- 18— आरोपीगण ने घटना के समय आहत बैयनबाई को घोर उपहित कारित करने का सामान्य निर्मित कर उसके अग्रसरण में आहत बैयनबाई को स्वेच्छया घोर उपहित कारित की है, इस कारण आरोपीगण को बैयनबाई की स्वेच्छया घोर उपहित हेतु समान रूप से जिम्मेदार ठहराया जाता है।
- 19— आरोपी बीरनसिंह के विरूद्ध आहत बैयनबाई को स्वेच्छया साधारण उपहित कारित करने हेतु भी पृथक से आरोप विरचित किया गया है, किन्तु आरोपी बीरनसिंह के द्वारा आहत बैयनबाई को लकड़ी से एक से ज्यादा प्रहार कर उसके पैर में एक से अधिक चोट या अन्य साधारण चोट कारित करने के संबंध में आहत बैयनबाई ने अपनी साक्ष्य में बताया नहीं है और न ही अन्य चक्षुदर्शी साक्षी या चिकित्सीय साक्षीगण ने इसकी पुष्टि की है। ऐसी दशा में आरोपी बीरनसिंह के द्वारा स्वेच्छया घोर उपहित के अलावा स्वेच्छया साधारण उपहित कारित करना प्रमाणित नहीं होता है। अतएव आरोपी बीरनसिंह को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—323 के अपराध के अंतर्गत दोषमुक्त किया जाता है।
- 20— अभियोजन के किसी भी साक्षी ने आरोपीगण के द्वारा फरियादी को कथित जान से मारने की धमकी देने के संबंध में अभियोजन का समर्थन नहीं किया है। अतएव साक्ष्य के अभाव में यह तथ्य प्रमाणित नहीं होता है कि आरोपीगण ने फरियादी बैयनबाई को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया है। फलतः आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—506 भाग—2 के अपराध के अंतर्गत दोषमुक्त किया जाता है।
- 21— अभियोजन ने युक्तियुक्त संदेह से यह तथ्य प्रमाणित किया है कि आरोपीगण ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान में लोकस्थान के समीप अश्लील

शब्द उच्चारित कर फरियादी बैयनबाई व अन्य सुनने वालो को क्षोभ कारित कर, आहत बैयनबाई को घोर उपहित कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में आहत बैयनबाई के दांए पैर में लाठी से मारकर अस्थिमंग कर स्वेच्छया घोर उपहित कारित किया। फलतः आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—294, 325/34 के अपराध के अंतर्गत दोषसिद्व ठहराया जाता है।

22— आरोपीगण को मामले की परिस्थिति को देखते हुए अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का लाभ प्रदान किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। आरोपीगण को दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु निर्णय स्थिगत किया जाता है।

(सिराज अली) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला–बालाघाट

पश्चात-

22— आरोपीगण को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। आरोपीगण की ओर से निवेदन किया गया है कि यह उसका प्रथम अपराध है तथा उसके विरुद्ध पूर्व दोषसिद्धि नहीं है। उनके द्वारा प्रकरण में वर्ष 2006 से विचारण का सामना किया जा रहा है तथा नियमित रूप से उपस्थित होते रहें है। अतएव उन्हें केवल अर्थदण्ड़ से दण्डित कर छोड़ा जावे।

23— मामले की परिस्थिति व अपराध की प्रकृति को देखते हुए आरोपीगण को केवल अर्थदण्ड से दिण्डत किये जाने पर न्याय के उद्देश्य की प्राप्ति संभव नहीं है। अतएव मामले की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुये प्रत्येक आरोपी को निम्नानुसार दिण्डत किया जाता है:—

A A			
<u>धारा</u>	कारावास की सजा	अर्थदण्ड के	अर्थदण्ड के व्यतिक्रम
	1	.0	की दशा में कारावास
धारा—294 भा.द.वि.	3 माह का साधारण	_	_
	कारावास		
धारा-325 / 34 भा.द.वि.	1 वर्ष का साधारण	500/-	1 माह का साधारण
	कारावास		कारावास

अारोपीगण को सभी कारावास की सजा एक साथ भुगतायी जावे।
अारोपीगण के जमानत व मुचलके भार मुक्त किये जाते है।

26— प्रकरण के विचारण के दौरान आरोपीगण न्यायिक अभिरक्षा में नहीं रहें है, जिसके संबंध में धारा—428 द.प्र.सं. के अन्तर्गत पृथक से प्रमाण—पत्र तैयार कर संलग्न किया जावे।

ATTACAN PARENT P

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला–बालाघाट (सिराज अली) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला—बालाघाट